न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 111/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लक्ष्मी पत्नि केवलचन्द जाति माली निवासी जैकल माता मन्दिर के पास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. लीलादेवी पुत्री सुन्दर पत्नि थानाराम भाटी निवासी सोजतसिटी जिला पाली राजस्थान, हॉल निवासी 1808, 18 MAIVROAD, 4 T BLOCK, JAYANAGAR BANGALORE BBMP - 560041 2. केलवचन्द पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी जैकल माता मन्दिर के पास, नेशनल हाईवे रोड, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अधिवक्ता प्रतिवादी उप0

दिनांक – 26/09/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 561 रकबा 0.1900 किस्म बा0अ0 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण मं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा प्रतिवादीसंख्या 02 द्वारा इकबालिया जबाबदावा प्राप्त होने से प्रकरण में दिनांक 29.07.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /1371 दिनांक 19.09.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 30.08.2024 के अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 30.08.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 561 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	केवल चन्द पुत्र मोहनलाल कौम माली सा0 देह खातेदार	561	0.0475	बा0अ0	0.285
		01	0.0475		
2.	लक्ष्मी पत्नी केवलचन्द कौम माली सा0 देह खातेदार	561/1	0.0950	बा0अ0	0.57
		01	0.0950		
3	लीलादेवी पुत्री सुन्दर कौम माली सा0 देह खातेदार	561/2	0.0475	बा0अ0	0.285
		01	0.0475		

तहसीलदार सोजत उक्तांनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी-सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 26/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी-सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मासिंगाराम, आर.ए.एस.

वादीगण

1. लक्ष्मी पत्नि केवलचन्द जाति माली निवासी जैकल माता मन्दिर के पास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लीलादेवी पुत्री सुन्दर पत्नि थानाराम भाटी निवासी सोजतसिटी जिला पाली राजस्थान, हॉल निवासी 1808, 18 MAIVROAD, 4 T BLOCK, JAYANAGAR BANGALORE BBMP - 560041
2. केलवचन्द पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी जैकल माता मन्दिर के पास, नेशनल हाईवे रोड, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद 111/2023

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी तथा श्री देवाराम परिहार, धमीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 561 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	केवल चन्द पुत्र मोहनलाल कौम माली सा0 देह खातेदार	561	0.0475	बा0अ0	0.285
		01	0.0475		
2.	लक्ष्मी पत्नी केवलचन्द कौम माली, सा0 देह खातेदार	561/1	0.0950	बा0अ0	0.57
		01	0.0950		
3	लीलादेवी पुत्री सुन्दर कौम माली सा0 देह खातेदार	561/2	0.0475	बा0अ0	0.285
		01	0.0475		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/07/2024 को जारी की गई।

(मार्सिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)